अधिसूचना सं0 16/2014-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नई दिल्ली, तारीख 11 जुलाई, 2014

सा.का.नि. (अ) -- केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 42/2008 -केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 जुलाई, 2008 में, जो भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. 492(अ), तारीख 1 जुलाई, 2008 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,

(i) सारणी -1 और दृष्टांत के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

" सारणी - 1

क्रम संख्या	खुदरा विक्रय कीमत (प्रति पाउच)	प्रति मास प्रति पैकिंग मशीन शुल्क की दर (लाख रुपये में)	
		पान मसाला	पान मसाला जिसमें तंबाकू है
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1.00 रुपये तक	16.20	27.64
2	1.00 से अधिक किंतु 1.50 रुपये से अनधिक	24.29	41.46
3	1.50 से अधिक किंतु 2.00 रुपये से अनधिक	30.77	52.51
4	2.00 से अधिक किंतु 3.00 रुपये से अनधिक	46.16	78.77
5	3.00 से अधिक किंतु 4.00 रुपये से अनधिक	59.60	101.70
6	4.00 से अधिक किंतु 5.00 रुपये से अनधिक	74.50	127.13

7	5.00 से अधिक किंतु 6.00 रुपये से	89.40	152.56
8	6.00 अनधिक रुपये से अधिक	89.40+14.58x (की-6)	152.56+24.87x (की -6)
		जहां ऊपर 'की' पाउच के खुदरा विक्रय कीमत को उपदर्शित करता है जिसके लिए शुल्क की दर का अवधारण किया जाना है ।	

दृष्टांत – पान मसाले के पाउच जिनका खुदरा विक्रय कीमत 8.00 है की पैकिंग मशीन की प्रति मास शुल्क की दर (अर्थात् 'की') =89.40+14.58x(8-6) लाख = 118.56"

(ii) सारणी -2 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

क्रम संख्यां	शुल्क	पान मसाला के लिए शुल्क का अनुपात	पान मसाला जिसमें तंबाकू है के लिए शुल्क का अनुपात
(1)	(2)	(3)	(4)
1	केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3क के अधीन उद्ग्रहणीय शुल्क	0.3453	0.7903
2	वित्त अधिनियम, 2005 की धारा 85 के अधीन उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क का अतिरिक्त शुल्क	0.1294	0.0677
3	वित्त अधिनियम, 2001 की धारा 136 के अधीन उद्ग्रहणीय राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क	0.4962	0.1129
4	वित्त अधिनियम, 2004 की धारा 91 के अधीन उद्ग्रहणीय शिक्षा उपकर	0.0194	0.0194
5	वित्त अधिनियम, 2007 की धारा 136 के अधीन उद्ग्रहणीय माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0.0097	0.0097"

[फा.सं. 334/15/2014-टीआरयू]

(अक्षय जोशी)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं 42/2008 – केंद्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 1 जुलाई, 2008 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 492(अ) तारीख 1 जुलाई, 2008 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 01/2014–केंद्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 24 जनवरी, 2014 द्वारा, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. 56(अ), तारीख 24 जनवरी, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी, अंतिम बार संशोधित की गई ।